रमेश कुमार सुथार ओर बनाम उपखंड अधिकारी भीनमाल
प्रकरण संख्या 03/2018

अपीलांट व राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) भीनमाल का जवाब प्राप्त हुआ।

राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) भीनमाल ने जवाब में कथन किया कि आवेदित सूचना लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय से संबंधित नहीं होने पर सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अधिशाषी अधिकारी को जरिए पत्रांक/लो.सू.अ.अ./17/5542 दिनांक 21.12.2017 के द्वारा अंतरित किया गया। जिसकी सूचना अपीलांट को भी दी गई है। अत: अपील खारिज की जावे।

हमने राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) भीनमाल के द्वारा प्रस्तुत जवाब पर मनन किया। हम राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपील में प्रस्तुत किये प्रत्युतर से संतुष्ठ नहीं है।अपीलांट द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.12.2017 में प्रकरण धारा 285 राजस्थान नगर पालिका अधिनियिम 1959 के तहत न्यायालय उपखंड अधिकारी भीनमाल में जयरूपाराम बनाम नगर पालिका भीनमाल की पत्रावली की प्रति चाही गई है।

राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) भीनमाल का दायित्व था कि जो आवेदित सूचना के संबध में जो अभिलेख उपलब्ध है तो उसकी प्रति अपीलांट को उपलब्ध करवा दी जानी थी।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) भीनमाल को निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट द्वारा आवेदित सूचना अपीलांट को 15 दिवस की अवधि में निशुल्क: उपलब्ध करवाई जावे। अगर कोई सूचना उपलब्ध नहीं है तो उसके संबंध में विस्तृत तथ्यो का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अपीलांट को सूचित किया जाना चाहिए था।

अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

Sd/—